<u>प्रपत्र–23</u>

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.455 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

<u>वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

ग्राम पंचायत का नाम (1)तिलारा (2)सकनियाकोट।
तहसील–सोमेश्वर, जिला–अल्मोड़ा।

जिला अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.000 है0 सिविल सोयम भूमि 0.455 है0, वन पंचायत भूमि 0.000 है0, कुल 0.455 है0 वनभूमि का ग्राम्य विकास विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत (1)तिलारा (2)सकनियाकोट द्वारा सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थिति सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम (1)तिलारा (2)सकनियाकोट् के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जाता है जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत तिलौरा
वि० ख०-हवालबाग
जिला - अल्मोड़ा

प्रधान
ग्राम प्रधान सकनियाकोट
वि० ख०-हवालबाग (अल्मोड़ा)

नोटः–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्त एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः–जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.455 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी सोमेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अल्मोड़ा

उपखण्ड हवलबाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.455 है0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.455 है0 वनभूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सोमेश्वर) की दिनांक–16/01/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **विवेक राय** उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विवेक राय उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा अध्यक्ष।
2– श्री.....प्रदीप सिंह बिष्ट.......... उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य।
3– श्री.....Shailendra Pandey.....सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव।
4– श्रीमती.....कला देवी.......बी0डी0सी0 क्षेत्र.....सकनियाकोट.....सदस्य।

उप जिलाधिकारी अल्मोड़ा
उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
कला देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत **दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग हेतु 0.455 है0 वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **अल्मोड़ा** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **अल्मोड़ा** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **दाड़िमखोला से सकनियाकोट लिंक मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **0.455** है0 वनभूमि **ग्राम्य विकास विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

19.01.18

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील–.सोमेश्वर
जनपद–अल्मोड़ा

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19.01.18

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति
तहसील–.सोमेश्वर
जनपद–अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनॉक 16/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम तिलारा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण सिंह	
2	दीवान सिंह	
3	बचे सिंह	
4	गोपाल राम	
5	[illegible] सिंह	
6	प्रेम सिंह	
7	गोपाल सिंह	
8	मोहित राणा	mohit Rana
9	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
10	पूरन सिंह राणा	Singh Rana
11	चतुर सिंह	
12	बसन्त सिंह	बसन्त सिंह
13	मोहन सिंह	मोहन सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत तिलारा
वि० ख०-हवालबाग
जिला - अल्मोड़ा

प्रपत्र–23.1

दिनॉक 16/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम सकनियाकोट।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायणसिंह	Narain
2	गणेश सिंह राणा	[illegible]
3	मोहनराम	मोहनराम
4	सदीराम	सदीराम
5	भूपालसिंह	[illegible]
6	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
7	रूप सिंह	[illegible]
8	चन्दन सिंह	[illegible]
9	दीवान सिंह	[illegible]
10	आनन्द	आनन्द
11	हीरासिंह	[illegible]
12	कैलाश सिंह	कैलाश सिंह
13	रूपराम	रूपराम
14	रतनसिंह	Ratan Singh
15	मनोहर सिंह	[illegible]

प्रधान

ग्राम पंचायत सकनियाकोट

[illegible]

प्रारुप—30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Almora

Office of the District Collector

No--

Dated- 16/ 05/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.455** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural road Development Dept**. **Uttarakhand** for **Construction of Darimkhola to Skaniyakot Link motor Road** in **Almora** district falls within jurisdiction of **Tilara,Sakaniyakot** villages in **Someswar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.455** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure … to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी अल्मोड़ा.

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

Almora

No--

/2019

Dated-- 16/05/19

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.455** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural road Development Dept. Uttarakhand** for **Construction of Darimkhola To Skaniyakot Link Motor Road** in **Almora** district falls within jurisdiction of **Tilara,Sakaniyakot** villages in **Someswar** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.455** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **of Tilara and Skaniyakot** villages(s) is enclosed as annexure….. to annexure……

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी अल्मोड़ा.

प्रारुप—30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Almora (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr Nitin Singh Bhadoria** I.A.S deputy commissioner,. .Almora. on dated .16-05-19. at time .12:30Pm.at Almora in which the application claiming rights in mail area measuring **0.455 hect** for the **Construction of Darimkhola to Sakaniyakot Link Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Almora** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place-Almora
Dated-16 05 /2019

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

Dputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe
जिला अधिकारी अल्मोड़ा।